मुख्यालय

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

(आईएसओ 9001-2008 प्रमाणित)

पंचदीप भवन, सीआईजी मार्ग, नई दिल्ली -110002

सं.ई–-13/12/10/2016-पीआर

दिनांकः 6 अक्तूबर, 2016

प्रेस विज्ञप्ति

पांडु नगर, कानपुर में 300 बिस्तरों के ई.एस.आई. सुपर स्पेशिलिटी अस्पताल का शिलान्यास

श्री बंडारू दत्तात्रेय, माननीय श्रम एवं रोज़गार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), भारत सरकार आज दिनांक 6 अक्तूबर, 2016 को पांडु नगर, कानपुर में **माननीय लोक सभा सांसद, डा. मुरली मनोहर जोशी** की गरिमामयी उपस्थिति में ई.एस.आई. सुपर स्पेशिलिटी अस्पताल की आधारशिला रखी।

डा. मुरली मनोहर जोशी, माननीय लोक सभा सांसद ने श्री बंडारू दत्तात्रेय, माननीय श्रम एवं रोज़गार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), भारत सरकार का पांडु नगर, कानपुर में 300 बिस्तरों के ई.एस.आई. सुपर स्पेशिलिटी अस्पताल के शिलान्यास के लिए उनका धन्यवाद किया ।

इस अवसर पर श्री बंडारू दत्तात्रेय, माननीय श्रम एवं रोज़गार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), भारत सरकार ने कहा कि क.रा.बी.योजना के अंतर्गत व्याप्त बीमाकृत व्यक्तियों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए दिनांक 20.07.2015 को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा ईएसआइसी-2.0 का स्वास्थ्य सुधार एजेंडा शुरू किया गया है। जिसमें क.रा.बी.लाभार्थियों (बीमाकृत व्यक्ति तथा उनके परिजन) को **इलैक्ट्रॉनिक हैल्थ रिकॉर्ड** की ऑनलाइन उपलब्धता, **अभियान इन्द्रधनुषः** सप्ताह के दौरान प्रतिदिन इन्द्रधनुषी (विब्ग्योर) प्रतिरूप के अनुसार चादर बदलना सुनिश्चित किया जाना, आपातलकाल तथा क.रा.बी.निगम अस्पतालों के हताहत/आपातकाल से मार्गदर्शन लेने के लिए **चिकित्सा हैल्पलाइन संख्या** 1800 11 3839, क.रा.बी.निगम अस्पतालों में वरिष्ठ नागरिकों तथा दिव्यांग व्यक्तियों के लिए **विशेष ओ.पी.डी.** शामिल हैं। इस सुधार एजेंडा ईएसआइसी-2.0 के अंतर्गत क.रा.बी.निगम उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश के अधिक से अधिक कामगारों को सामाजिक सुरक्षा हितलाभ देने के लिए पूरी तरह प्रयासरत है। वर्तमान में क.रा.बी.योजना जिलों के भीतर उद्योग/वाणिज्यिक समूहों में कार्यान्वित की गई है। अब, आगे लक्ष्य इस वर्ष के अंत तक देश के सभी 681 जिलों को व्याप्त करने का है। इस प्रकार उत्तर प्रदेश के लिए इसका लक्ष्य इस वर्ष के अंत तक सभी 75 जिलों को व्याप्त करने का है।

ईएसआई सुपर स्पेशिलिटी अस्पताल

करीब 7 एकड़ के प्लॉट क्षेत्र में फैले 300 बिस्तरों की सुविधा युक्त **ई.एस.आई. सुपर स्पेशिलिटी अस्पताल** का निर्माण रू 361.00 करोड की लागत से किया जायेगा । 300 बिस्तरों वाला यह सुपर स्पेशिलिटी अस्पताल, ई.एस.आई. योजना के लाभार्थियों के लिए एक और सुखद पहल होगी। यह अस्पताल कानपुर और आस–पास के इलाकों के ईएसआई योजना के बीमित लोगों और उनके परिवार के सदस्यों की स्वास्थ्य देखभाल की दिशा में एक अहम कदम साबित होगा। 8 एकड विशाल क्षेत्र में लगभग 361 करोड़ रुपये की लागत से तैयार होने वाले इस अस्पताल में ऑर्थोपेडिक्स, गाइनेकॉलाजी, जनरल सर्जरी, कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, फिजियोथैरेपी, नेफ्रालॉजी, ई0एन0टी0, ब्लड बैंक एंव ओपीडी सुविधाओं इत्यादि और 24 घंटे आपातकालीन सेवाओं उपलब्ध होगी। कर्मचारी राज्य बीमा निगम, कर्मचारियों के कल्याण के लिए दृढ़ संकल्पित है।

उत्तर प्रदेश में कर्मचारी राज्य बीमा योजना

कर्मचारी राज्य बीमा योजना सबसे पहले कानपुर एवं दिल्ली में एक साथ शुरू की गई थी तथा योजना का उद्घाटन 24 फरवरी, 1952 को कानपुर में तत्कालीन प्रधानमंत्री स्व. पंडित जवाहर लाल नेहरु द्वारा किया गया था। उस समय कानपुर में कुल 200 बीमित व्यक्ति तथा 800 हितलाभार्थी पंजीकृत थे। वर्तमान में, प्रदेश के 49,002 कारखानों एवं प्रतिष्ठानों के 14.02 लाख कर्मचारी क.रा.बी. योजना के अंतर्गत व्याप्त हैं। लाभार्थियों की कुल संख्या लगभग 54.4 लाख है। उत्तर प्रदेश में कर्मचारी राज्य बीमा निगम का प्रशासनिक प्रबंधन 01 क्षेत्रीय कार्यालय, कानपुर, 03 उप क्षेत्रीय कार्यालय, नोएडा, लखनऊ व वाराणसी तथा 37 शाखा कार्यालयों के माध्यम से किया जाता है। 116 क.रा.बी. औषधालयों, 15 अस्पतालों एवं 1 आदर्श चिकित्सालय के माध्यम से प्राथमिक एवं द्वितीयक चिकित्सा सेवाएं मुहैया कराई जाती हैं। अति–विशिष्ट उपचार हेतु 54 निजी अस्पतालों से टाई–अप किया गया है।

भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना

कर्मचारी राज्य बीमा निगम कर्मचारियों को रोजगार के दौरान लगी चोट, बीमारी, मृत्यु, अपंगता आदि जैसे हालातों में नकद हितलाभ तथा उचित चिकित्सा सुविधा जैसी व्यापक सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने वाला एक अग्रणी सामाजिक सुरक्षा संगठन है। क.रा.बी. योजना उन कारखानों एवं अन्य प्रतिष्ठानों में लागू है, जहाँ 10 या उससे अधिक व्यक्ति नियोजित हैं। उपयुक्त श्रेणियों के कारखानों और प्रतिष्ठानों के कर्मचारी जो रु. 15000/– तक प्रतिमाह वेतन प्राप्त कर रहे हैं, वे क.रा.बी. अधिनियम के अंतर्गत स्वास्थ्य बीमा व्याप्ति एवं अन्य हितलाभ पाने के हकदार हैं। अब, पूरे देश के 7.23 लाख कारखानों एवं प्रतिष्ठानों में यह अधिनियम लागू होता है, जिससे कामगारों के लगभग 2.03 करोड़ परिवार एककों को हितलाभ मिल रहे हैं। परिमाणस्वरूप अब, क.रा.बी. योजना के कुल लाभार्थियों की संख्या बढ़कर 7.89 करोड़ से अधिक हो गई है। सन् 1952 में अपनी शुरूआत से, कर्मचारी राज्य बीमा निगम अब तक 151 अस्पतालों, 1459/188 औषधालयों/आईएसएम एककों, 812 शाखाओं/भुगतान कार्यालयों एवं 61 क्षेत्रीय एवं उप–क्षेत्रीय/प्रभागीय कार्यालयों की स्थापना कर चुका है।

इस सुअवसर पर श्री सत्यदेव पचौरी, माननीय विधायक, श्री सलील बिश्नोई, माननीय विधायक, श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया, माननीय विधायक, श्री अरूण पाठक, माननीय सदस्य, विधायक परिषद एवं श्री राम किशोर त्रिपाठी, माननीय सदस्य, क.रा.बी. निगम भी विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित हुए ।